146

संख्या– /XVIII(II)/2013–18(57)/2013

प्रेषक,

भास्करानन्द,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

जिलाधिकारी,
अल्मोड़ा।

राजस्व अनुभाग–2 देहरादूनः दिनांक २५ दिसम्बर, 2013

विषयः–जनपद अल्मोड़ा के अंतर्गत सोनी–सिलोर महादेव मोटरमार्ग के सुधारीकरण/चौड़ीकरण/सुदृढ़ीकरण हेतु कुल 0.480 है0 भूमि लोक निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड शासन को निःशुल्क हस्तांतरित किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या–3613/ग्यारह–12/2012–13 दि0–2.4.2013 एवं आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद, उत्तराखण्ड के पत्र सं0–2010/रा0प0–013 भू0ह0 दि0–2.5.2013 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल, ग्राम सैला, पटवारी क्षेत्र–देवलीखेत, तहसील रानीखेत, जनपद अल्मोड़ा के गैर जमींदारी विनाश खतौनी खाता सं0–174 की श्रेणी 9(3)ग बंजर–गौचर के पैमाईशी खेत सं0–2631 म0 0.060 है0, 2633 म0 0.010 है0 एवं 2635 मध्ये 0.050 है0, इस प्रकार कुल 0.120 है0 भूमि, ग्राम सैनरी, पटवारी क्षेत्र नाफण, तहसील रानीखेत, जनपद अल्मोड़ा के गैर जमींदारी विनाश खतौनी खाता सं0–19 की श्रेणी 10(4) बंजर अकृषित भूमि ब0ना0का0आ0 के पैमायशी खेत सं0–1268 म0 0.010 है0, 1269 म0 0.010 है0 एवं 1293 मध्ये 0.010 है0, 1297 म0 0.100 है0 एवं 1627 म0 0.100 है0 इस प्रकार कुल 0.230 है0 भूमि, ग्राम नाकोट, पटवारी क्षेत्र नाफण, तहसील रानीखेत, जनपद अल्मोड़ा के गैर जमींदारी विनाश खतौनी खाता सं0–9 की श्रेणी 10(4) अकृषित बंजर काबिल आबाद के पैमायशी खेत सं0–1165 म0 0.030 है0 एवं ग्राम दूमण, पटवारी क्षेत्र देवलीगण, तहसील रानीखेत, जनपद अल्मोड़ा के गैर ज0वि0 खतौनी खाता सं0–60 की श्रेणी 9(3)ङ कृषि योग्य बंजर भूमि के पैमायशी खेत सं0–2395 म0 0.020 है0, 2396 म0 0.060 है0 एवं 2397 मध्ये 0.020 है0 कुल 0.100 है0 भूमि प्रस्तावित की गई है। इस प्रकार उपरोक्त परियोजना हेतु चारो ग्रामों की कुल 0.480 है0 भूमि को वित्त अनुभाग–3 के शासनादेश संख्या–260/वित्त अनुभाग–3/2002 दिनांक 15.02.2002 के प्राविधानों के अधीन तथा लोक निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड शासन की सहमति/अनापत्ति के कम में निम्नलिखित शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन लोक निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड शासन को निःशुल्क हस्तान्तरित किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

1– भूमि पर कोई धार्मिक अथवा ऐतिहासिक महत्व की इमारत न हो।

2– जिस परियोजना के लिए भूमि हस्तान्तरित की जा रही है वह एक अनुमोदित परियोजना हो और उसके लिए शासन से सहमति प्राप्त हो चुकी हो।

3– हस्तान्तरित भूमि यदि प्रस्तावित कार्य से भिन्न प्रयोजन के लिए उपयोग की जाये तो उसके लिये मूल विभाग से पुनः अनुमोदन प्राप्त करना होगा।

............2

4– यदि भूमि की आवश्यकता न हो या 3 वर्षों तक हस्तान्तरित भूमि प्रस्तावित कार्य के लिए उपयोग में नहीं लायी जाती है तो वह मूल विभाग में स्वतः ही निहित हो जायेगी।

5– जिस प्रयोजन हेतु भूमि हस्तान्तरित की जा रही है उससे भिन्न किसी अन्य प्रयोजन हेतु किसी अन्य व्यक्ति, संस्था, समिति अथवा विभाग आदि को मूल विभाग की सहमति के बिना भूमि हस्तान्तरित नहीं की जायेगी।

6– जिस प्रयोजन हेतु भूमि आवंटित की जा रही है उसकी पूर्ति के उपरान्त यदि भूमि अवशेष पड़ी रहती है, तो मूल विभाग को उसे वापस लेने का अधिकार होगा।

7– प्रश्नगत भूमि पर वन संरक्षण अधिनियम लागू होने की दशा में भूमि के उपयोग का परिवर्तन गैर वानिकी कार्य हेतु तभी अनुमन्य होगा जब उक्त अधिनियम के अन्तर्गत नियत प्राधिकारी से अनुमति प्राप्त कर ली जायेगी।

8– प्रश्नगत नॉन जेड0ए0 भूमि आवंटन के पूर्व जमींदारी विनाश एवं भू–सुधार अधिनियम की धारा–132 के समकक्ष एवं अन्य सुसंगत प्राविधानों का अनुपालन जिलाधिकारी द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।

9– इस संबंध में सिविल अपील संख्या–1132/2011(एस0एल0पी0)/(सी) संख्या–3109/2011 श्री जगपाल सिंह एवं अन्य बनाम पंजाब राज्य एवं अन्य में मा0 सर्वोच्च न्यायालय के आदेश एवं अन्य संगत निर्देशों का भी अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

10– आवंटन की अवधि समाप्त होने अथवा उपरोक्त शर्तो बिन्दु संख्या–01 से 09 मे से किसी भी शर्त का उल्लंघन होने की स्थिति में प्रश्नगत भूमि निर्माण सहित राजस्व विभाग में निहित हो जायेगी, जिसके लिए कोई प्रतिकर देय नहीं होगा।

कृपया इस संबंध में नियमानुसार अग्रेत्तर कार्यवाही सुनिश्चित करते हुए शासनादेश के परिप्रेक्ष्य में जिला स्तर से निर्गत आदेश एवं इस शासनादेश की शर्तों के अनुपालन स्थिति से यथा समय शासन को अवगत कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

(भास्करानन्द)
सचिव।

पृ0प0संख्या– 1520 /समदिनांकित/2013

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1– सचिव, लोक निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
2– आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद उत्तराखण्ड, देहरादून।
3– आयुक्त, कुमाऊं मण्डल, नैनीताल।
4– निदेशक, एन0आई0सी0, सचिवालय परिसर, देहरादून।
5– गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(संतोष बडोनी)
अनुसचिव।